पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील सं.98/2015

==========

मेसर्स मैरिको लिमिटेड पुत्र - श्री नारायण पडगुलेकर, निवासी मनोहर अपार्टमेंट, दूसरी मंजिल का कमरा सं.12 कोपर क्रॉस रोड डोम्बिवली थाना डोम्बिवली जिला ठाणे महाराष्ट्र

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य और अन्य

2. वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना अपने सचिव के माध्यम से

3. वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार सरकार, विकास भवन, पटना,

4. करों के वाणिज्यिक उपायुक्त, विशेष मंडल, पटना

... ...प्रतिवादीगण

==========

के साथ

विविध अपील संख्या 99/2015

==========

मेसर्स मैरिको लिमिटेड पुत्र - श्री नारायण पडगुलेकर, निवासी मनोहर अपार्टमेंट, दूसरी मंजिल का कमरा सं.12 कोपर क्रॉस रोड डोम्बिवली थाना डोम्बिवली जिला ठाणे महाराष्ट्र

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य और अन्य

2. वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना अपने सचिव के माध्यम से

3. वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार सरकार, विकास भवन, पटना,

4. वाणिज्यिक करों के संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय प्रभाग, पटना।

5. वाणिज्यिक करों के उपायुक्त, विशेष अंचल, पटना।

.... प्रतिवादीगण

==========

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005-धारा 77 (1) (ई), प्रविष्टि 82, अनुसूची-**III** की प्रविष्टि 27- क्या निर्धारिती द्वारा बेचे जाने वाले नारियल तेल को खाद्य तेल या सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, भले ही 'पैराशूट' ब्रांड नाम के तहत केश तेल के रूप में बेचा जाए-चाहे नारियल एक सब्जी हो-वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील-अपीलकर्ता, वैट अधिनियम के तहत एक व्यापारी ने यह निर्णय लेने की मांग की कि क्या नारियल तेल पर अवशिष्ट वस्तु के रूप में 12.5% की दर से या वस्तु के रूप में 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना है।

आयोजित किया गयाःनारियल से संसाधित का उपयोग प्रसाधन सामग्री के रूप में किया जाता है न कि खाद्य तेल के रूप में। इसलिए, इसे खाद्य तेल या वनस्पति तेल के रूप में नहीं कहा जा सकता है-न्यायाधिकरण के धारा 77-अनुमोदित आदेश के तहत प्राधिकरण के निष्कर्षों के साथ सहमति-निर्धारिती के खिलाफ कानून के प्रश्नों का उत्तर-अपील खारिज कर दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील सं.98/2015

==========

मेसर्स मैरिको लिमिटेड श्री नारायण पडगुलेकर के पुत्र निवासी मनोहर अपार्टमेंट, दूसरी मंजिल का कमरा सं.12 कोपर क्रॉस रोड डोम्बिवली थाना डोम्बिवली जिला ठाणे महाराष्ट्र

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य और अन्य
2. वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना अपने सचिव के माध्यम से
3. वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार सरकार, विकास भवन, पटना,
4. करों के वाणिज्यिक उपायुक्त, विशेष मंडल, पटना

... ...प्रतिवादीगण

==========

साथ में

विविध अपील संख्या 99/2015

==========

मेसर्स मैरिको लिमिटेड, श्री नारायण पडगुलेकर के पुत्र निवासी मनोहर अपार्टमेंट, दूसरी मंजिल का कमरा सं.12 कोपर क्रॉस रोड डोम्बिवली थाना डोम्बिवली जिला ठाणे महाराष्ट्र

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य और अन्य
2. वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना अपने सचिव के माध्यम से
3. वाणिज्यिक कर आयुक्त, बिहार सरकार, विकास भवन, पटना,
4. वाणिज्यिक करों के संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय प्रभाग, पटना।
5. वाणिज्यिक करों के उपायुक्त, विशेष अंचल, पटना।

.... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थितिः

(विविध अपील संख्या 98/2015 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री आलोक कुमार अग्रवाल,अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, महाधिवक्ता

(विविध अपील संख्या 99/2015 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री आलोक कुमार अग्रवाल,अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री पी. के. शाही, महाधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायमूर्ति

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

सी.ए.बी. निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीखः06-12-2023

दो अपीले एक विविध वाद और एक पुनरीक्षण वाद में वणिज्यिक कर न्यायाधिकरण (संक्षिप्त में न्यायाधिकरण) के उभयनिष्ठ आदेश दिनांक 11.03.2005 से एक ही (समान) मुद्दे को आंदोलित करते हैं। अपीलार्थी, बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्त 'अधिनियम 2005') के प्रावधानों के तहत एक व्यापारी, ने धारा 77 के तहत प्राधिकरण से इस निर्णय के लिए अप्रोच किया कि क्या उसके द्वारा बेचे जाने वाले नारियल तेल पर अवशिष्ट वस्तु के रूप में 12.5% की दर से या अनुसूची-**III** के भीतर आने वाली वस्तु के रूप में 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

2. निर्धारण वर्ष 2005-06 है; वह वर्ष जिसमें अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य में भी मूल्य वर्धित कर व्यवस्था लागू की गई थी। प्रारंभ में, अनुसूची-**III** की प्रविष्टि 27 में खाद्य तेल और तेल केक थे, जिन्हें एक अधिसूचना दिनांक 09.07.2005 द्वारा "*खाद्य तेल (नारियल तेल के अलावा) या तेल केक"* के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया गया था। **"** इसलिए, 09.07.2005 तक, वस्तु एक खाद्य तेल था जो अनुसूची-**III** वस्तुओं के लिए प्रदान की गई कर की कम दर के लिए उत्तरदायी था । निर्धारिती का तर्क है की 09.07.2005 के संशोधन के बाद भी, नारियल तेल 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगा क्योंकि यह एक वनस्पति तेल है, जिसे प्रविष्टि 82 के तहत शामिल किया गया था, जिसे दिनांक 01.04.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ।

3. हमने अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री एस. डी. संजय और राज्य के श्री विकास कुमार को सुना।

4. अपीलार्थी ने 2005 के अधिनियम की धारा 77(1)(ई) के तहत प्राधिकरण से संपर्क किया था। विविध अपील संख्या 98/2015 में प्रस्तुत अनुलग्नक-2 आदेश द्वारा प्राधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता के चालान से पता चलता है कि 'नारियल का तेल' साबुन, डिटर्जेंट आदि के साथ बेचा गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा जो बेचा जाता है वह बाल तेल के रूप में उपयोग किया जाता है न कि खाद्य तेल के रूप में। आयुक्त ने पाया कि खाद्य तेलों और वनस्पति तेलों पर कम देयता में बाल तेल शामिल नहीं हैं जो प्रसाधन सामग्री की श्रेणी में आते हैं, जिन पर 12.5% की उच्च दर पर कर लगाया जाना है। 'न्यायाधिकरण 'ने सामान्य विवादित आदेश द्वारा उक्त राय से सहमति व्यक्त की और मूल्यांकन के आदेश से दायर अपील को भी खारिज कर दिया, जिसकी पुष्टि पहली अपील में की गई थी; जिसे विविध अपील संख्या 99/2015 में चुनौती दी गई है।

5. कानून बनने का सवाल यह है कि

> *"क्या निर्धारिती द्वारा बेचे गए नारियल तेल को प्रविष्टि 27 के तहत एक खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और प्रविष्टि 27 से नारियल तेल के अपवर्जन के लिए, क्या प्रविष्टि 82 के तहत वनस्पति तेल को शामिल करना संभव होगा; क्योंकि अनुसूची-**III** में प्रविष्टियां संबंधित वर्ष में मौजूद थीं?"*

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि अनुसूची को स्वयं मूल्य वर्धित कर की शुरुआत के प्रारंभिक चरण में लाया गया था और कुछ गलतियाँ होना तय है, जिसका लाभ अनिवार्य रूप से निर्धारिती को दिया जाना चाहिए। यह इंगित किया गया है, नारियल तेल एक खाद्य तेल है और उस स्थिति में 01.07.2005 तक, इसे प्रविष्टि 27 में और उसके बाद प्रविष्टि 82 के तहत वनस्पति तेल के रूप में शामिल किया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत नारियल तेल को विविध अपील संख्या 99/2015 के साथ संलग्न सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा **III** अध्याय 15 के अनुसार वनस्पति तेलों के सामान्य नामकरण के तहत शामिल किया गया है। वरिष्ठ वकील का कहना है कि संबंधित मूल्यांकन वर्ष में भी, निर्धारिती द्वारा बेचा गया नारियल तेल केवल 4 प्रतिशत की दर से कर के लिए उत्तरदायी था।

7. दूसरी ओर विद्वान राज्य वकील बताते हैं कि हालांकि निर्धारिती नारियल तेल को एक खाद्य तेल के रूप में दावा करता है, लेकिन इसे बाल तेल के रूप में बेच रहा है, जो या तो खाद्य तेल की परिभाषा के भीतर या वनस्पति तेल के नामकरण के

तहत नहीं आएगा; क्योंकि सामान्य बोलचाल में नारियल एक सब्जी नहीं है। इस प्रकार, राज्य ने 'न्यायाधिकरण' के आदेश का बचाव किया।

8. अपीलार्थी के पास अपील के ज्ञापन में भी यह स्पष्ट मामला नहीं है कि 'पैराशूट' के ब्रांड नाम से निर्मित और बेचा जाने वाला नारियल तेल खाद्य तेल है या बाल तेल। विवाद यह है कि अपीलार्थी द्वारा 'पैराशूट' के ब्रांड नाम से निर्मित और बेचा जाने वाला नारियल तेल 100% शुद्ध नारियल तेल है जिसमें इत्र की कोई मात्रा नहीं होती है। यह भी माना जाता है कि अपीलार्थी पैराशूट एडवांस्ड, पैराशूट लाइट, पैरासूट जैसमिन इत्यादि के ब्रांड नाम से भी बाल तेल का निर्माण करता है। जिसे 100% शुद्ध नारियल तेल के रूप में बेचे जाने वाले से अलग किया जा सकता है। तथ्यों पर पहले अपीलीय प्राधिकरण का स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता नारियल से अपने द्वारा निर्मित उत्पाद को बाल तेल के रूप में बेचता है, जैसा कि चालान से स्पष्ट होता है। इस पहलू से कानून का कोई सवाल नहीं उठता है और इसलिए, पैराशूट के ब्रांड नाम से बेचे जाने वाले अपीलकर्ता उत्पाद को खाद्य तेलों के प्रवेश के तहत नहीं लाया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, 01.07.2005 के बाद से, नारियल तेल को प्रविष्टि 27 से बाहर रखा गया है। अपीलार्थी के उत्पाद के संबंध में इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है, जो एक प्रसाधन है और एक खाद्य तेल नहीं है।

9. अब सवाल यह है कि क्या नारियल तेल को प्रविष्टि 84 के तहत 'वनस्पति तेल' माना जा सकता है, जो प्रविष्टि पहले वर्ष में उपलब्ध थी, जिसमें वैट व्यवस्था शुरू की गई थी। अपीलार्थी के वकील ने एच. एस. एन. संहिताओं के आधार पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर जोर दिया। '2005 के अधिनियम' के तहत प्रविष्टियों में एच. एस. एन. संहिताओं का कोई संबंध नहीं है और उनकी जांच की अनुमति नहीं है, विशेष रूप से जब शुल्क अलग-अलग अधिनियमों द्वारा लगाया जाता है। यहां तक कि सीमा शुल्क और शुल्क अधिनियम के तहत, हालांकि *'पशु या सब्जी वसा और तेल और उनके विखंडन उत्पाद* 'धारा **III** के तहत आते हैं, नारियल तेल, जैसे कि ताड़ का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल आदि को अन्य निश्चित वनस्पति वसा और तेल और उनके अंशो के लिए लागू किये जानेवाले सामान्य नामकरण से अलग तरीके से माना जाता है।

10. अपीलार्थी का आगे का तर्क ***टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनामनिदेशक, विपणन, बिहार राज्य कृषि बोर्ड, पटना ने (1986) पी. एल. जे. आर. 172*** में प्रतिवेदित पर आधारित है। इसमें एक खंड पीठ 'कृषि उपज' शब्द से संबंधित थी, जिसमें बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 के अनुसार कृषि, बागवानी, पशुपालन और वनों के सभी उत्पाद, चाहे वे प्रसंस्कृत हों या गैर-प्रसंस्कृत, शामिल थे। विद्वान न्यायाधीशों ने ***उप-आयुक्त वाणिज्यिक कर, तिरुचिरापल्ली बनाम हमीद ट्रेडिंग***

कंपनी, 32 (1973) एस. टी. सी. 228 में मद्रास उच्च न्यायालय के दो निर्णयों को संदर्भित किया, जिसमें कहा गया था कि नारियल खराब होने वाली वस्तु नहीं है और इसे ताजे फल के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह भी माना गया कि यह अपवाद देने वाली अधिसूचना के शब्दों के अर्थ के भीतर एक सब्जी नहीं थी। मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने संपदा भूमि कर के संदर्भ में/***एस.एम, नारायना अय्यंगार बनाम एस.सी.आर.एम. सुब्रमण्यम चेट्टियार*** पर भरोसा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नारियल फल हैं और नारियल के पेड़ फल के पेड़ हैं और नारियल का बागान एक फल उद्यान है। शब्दकोश के अर्थ को यह पता लगाने के लिए भी देखा गया कि नारियल को आम तौर पर फल के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसी भी स्थिति में, इस प्रश्न का उत्तर 'कृषि उपज' शब्द की विशिष्ट परिभाषा के संदर्भ में दिया गया था और जाँच करने की कोई परिस्थिति नहीं थी। कि क्या नारियल एक सब्जी थी या फल या काष्ठफल। अधिनियम में 'कृषि उपज' की परिभाषा जो ***टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड*** में विचाराधीन था, एक समावेशी परिभाषा जो सभी उपज को अपने दायरे में लाती है, चाहे वह कृषि की प्रसंस्कृत हो या गैर-प्रसंस्कृत। नारियल का तेल नारियल का एक प्रसंस्कृत उत्पाद है, जो निश्चित रूप से एक 'कृषि उत्पाद' भी है। उक्त निर्णय किसी भी तरह से 'वनस्पति तेल' शब्द पर रखी जाने वाली व्याख्या की सहायता नहीं करता है।

11. जैसा कि आयात और निर्यात के ***उप मुख्य नियंत्रक बनाम के.टी.कोसलराम ए.आई.आर.1971 एस.सी 1283*** में प्रतिवेदित मामले में कहा गया है । शब्दकोश का अर्थ या सीमा शुल्क में प्रयुक्त अर्थ बहुत मददगार नहीं है, अगर क़ानून में दिया गया अर्थ स्पष्ट है। वर्तमान मामले में, वनस्पति तेल का उपयोग निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा एक सब्जी से तेल निकाला जाता है। सामान्य उपयोग और आम बोलचाल में 'सब्जी' शब्द को इसके अर्थ, नारियल के भीतर नहीं पाया जा सकता है।

12. ***1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 298, श्री भरूच नारियल व्यापार कंपनी बनाम.अहमदाबाद नगर निगम*** में, यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः-

> **3.** सवाल यह है कि क्या ब्राउन नारियल (पानी वाला नारियल) हरा फल है या नहीं? *रामावतार में बुधाइप्रसाद बनाम एस.टी.ओ.* [(1961) 12 एसटीसी 286:एआईआर 1961 एससी 1325:(1962) 1 एस. सी. आर. 279] और *सी. एस. टी. बनाम एस. एन. ब्रदर्स* [(1973) 3 एस. सी. सी. 496:1973 एस. सी. सी. (कर) 254: (1973) 31 एस. टी. सी.302), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बिक्री कर अधिनियमों की अनुसूचियों में आने वाली अभिव्यक्ति पर सामान्य वाणिज्यिक भाषा में उनके अर्थ के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए और इसे सख्त वैज्ञानिक अर्थ के अनुसार नहीं माना जाना चाहिए। *रामावतार बुधाइप्रसाद मामला* [(1961) 12

एस. टी. सी. 286:ए.आई.आर.1961 एससी 1325:(1962) 1 एस. सी. आर. 279] में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि पान के पत्ते, हालांकि सख्त वैज्ञानिक अर्थों में सब्जी के पत्ते हैं, उन्हें सब्जी नहीं माना जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में, पान के पत्तों को सब्जी नहीं माना जा सकता है। सामान्य वाणिज्यिक अर्थों में नारियल को कई रूपों में कोमल नारियल, पानी वाले नारियल, सूखे नारियल और कोपरा के रूप में समझा जाता है और ये सभी नारियल अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। कोमल नारियल में रसदार पानी होता है और गुठली कोमल अवस्था में होती है। कोमल नारियल का उपयोग आम तौर पर गर्मियों (शरद ऋतु) के मौसम में पानी का रस काटने के बाद पीने के लिए किया जाता है। एक पानी वाला नारियल एक पका हुआ नारियल है जो अपने रेशे के बाहरी आवरण को हटाने के बाद बाजार में प्रवेश करता है। इसे नारियल या पानी वाला नारियल कहा जाता है। मामले के उद्देश्य के लिए इसे ब्राउन नारियल कहा जाता है। पानी का उपयोग पेय के रूप में और गुठली का उपयोग पाक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नारियल को पूरी तरह से उगाए जाने के बाद इसे पेड़ों से तोड़ दिया जाता है और बाहरी रेशे को हटाने के बाद (वजन कम करने के लिए) इसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाजार में भेजा जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि इसे नारियल या पानी वाला नारियल (भूरा नारियल) कहा जाता है। इसलिए सवाल यह है कि क्या ब्राउन नारियल (पानी वाला नारियल) एक हरा फल है। *चैम्बर्स डिक्शनरी* में पृष्ठ 463 पर हरे शब्द को वर्णक्रम में नीले और पीले रंग के बीच के पत्तों में रंग के विशेषण के रूप में परिभाषित किया गया है. कच्ची, ताजी, सूखी, कच्ची या हरी चीजों का रंग।

4. *वेबस्टर व्यापक शब्दकोश* (अंतर्राष्ट्रीय संस्करण) पृष्ठ 509 में, 'फल' शब्द को विभिन्न पौधों और पेड़ों के बीजों को ढकने वाले खाद्य, गूदेदार द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्हें मांसल, लौकी, खरबूजे, संतरे, सेब, नाशपाती, जामुन आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ; चेरी, आड़ू, आलूबुखारा, खुबानी, और गुठली वाले अन्य के रूप में ड्रुपेशियस; नट्स, कैप्सूल, एशेनिया, रोम, फलियां, आदि के रूप में सूखा पाया जाता है। फूलों के पौधों में, परिपक्व बीज पात्र और इसकी सामग्री, इस तरह के सहायक या पुष्पक्रम के बाहरी हिस्सों के साथ उनके साथ अभिन्न प्रतीत होती है। भोजन के रूप में या अन्यथा मनुष्य के लिए उपयोगी कोई भी सब्जी उत्पाद; अनाज, कपास या सन के रूप में; ऐसे उत्पाद भी, सामूहिक रूप सेःपृथ्वी के फल। इसलिए, चुंगी के संदर्भ में यह निष्कर्ष निकालना वैध हो सकता है कि सभी प्रकार के ताजे फलों को वस्तुओं से छूट दी गई है।

5. *पी. ए. थिल्लई चिदम्बर नादर बनाम अपर अपीलीय सहायक आयुक्त* [(1985) 4 एससीसी 30:(1985) 60 एस. टी. सी. 80]में, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या पका हुआ नारियल जो पानी वाला नारियल है, तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1959 का 1) के तहत सब्जी के रूप में छूट प्राप्त वस्तु है। इस अदालत ने कहा कि ताजे फल और सब्जियां मेज के लिए रोजमर्रा के उपयोग की घरेलू वस्तुएं होने के कारण, इन्हें लोकप्रिय अर्थों में समझना होगा,

जिसका अर्थ है कि प्रत्येक गृहस्थ उन्हें समझेगा। इस दृष्टिकोण से देखने पर, सबसे उपयुक्त परीक्षण एक सरल प्रश्न का उत्तर होगाःक्या एक गृहस्थ को जब शाम के भोजन के लिए घर में कुछ 'ताजे फल' और कुछ 'सब्जियां' लाने के लिए कहा जाएगा, तो वह नारियल भी लाएगा?जाहिर है कि जवाब नकारात्मक है। तदनुसार इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पका हुआ नारियल न तो ताजा फल है और न ही सब्जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पानी वाला नारियल एक पका हुआ नारियल है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे कि हिंदू मंदिर में एक देवता को चढ़ाने के लिए तोड़ दिया जाता है या शुभ अवसरों पर उपयोग किया जाता है या दैनिक मेज भोजन की तैयारी में या मिठाई जैसे बिस्कुट में या तेल निकालने में उपयोग किया जाता है जब यह ताजा या सूखा होता है। जब वाणिज्यिक बाजार में कोई व्यक्ति जाता है और नारियल मांगता है तो कोई भी भूरे रंग के नारियल को सब्जी या ताजा फल नहीं मानेगा, बहुत कम हरा फल। कोई भी गृहस्थ इसे फल के रूप में नहीं खरीदेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ अंग्रेजी शब्दकोशों में नारियल को फल या काष्ठफल कहा जाता है, लेकिन इसे इसके सामान्य वाणिज्यीक बोलचाल की भाषा में समझा जाना चाहिए। *श्री कृष्ण कोकोनट कंपनी-बनाम सीटीओ* [(1965) 16 एसटीसी 511:ए. आई. आर. 1966 ए. पी. 128] में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या पानी युक्त अच्छी तरह से विकसित गुठली के साथ पूरी तरह से उगाए गए नारियल को कोमल या सूखा नारियल कहा जा सकता है। उस संदर्भ में ए. पी. सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 की अनुसूची **III** के स्पष्टीकरण के दायरे पर विचार करते हुए, जिसमें अधिनियम के तहत निविदा नारियल को बिक्री कर से छूट दी गई थी, यह माना गया था कि एक निविदा नारियल में, गुठली शायद ही बनती है या केवल गठन के प्रारंभिक चरणों में होती है। एक सूखे नारियल में गुठली बनती है और पूरी तरह से विकसित होती है और आगे नारियल के अंदर का पानी सूख जाता है जिससे गुठली भी सूख जाती है। लेकिन एक अच्छी तरह से विकसित गुठली के साथ पूरी तरह से उगाए गए नारियल, जिसमें पानी होता है, को कोमल या सूखे नारियल के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह सर्वविदित है कि नारियल का उपयोग पाक उद्देश्यों और शुभ अवसरों पर और मंदिरों में प्रसाद के हिस्से के रूप में किया जाता है। उस मामले में यह माना गया था कि पानी वाले नारियल पूरी तरह से विकसित नारियल हैं और वे बिक्री कर के लिए उपयुक्त हैं। *कुंची राजेश्वर शास्त्री एंड संस बनाम सहायक। सी. सी. टी.* [(1976) 37 एस. टी. सी. 399 (एपी एचसी):1976 कर एल. आर. 1786], आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ को इस बात पर विचार करना था कि क्या कोपरा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में उल्लिखित घोषित वस्तुओं की सूची की वस्तु (**vi**) के अर्थ के भीतर एक तिलहन है और क्या यह आंध्र प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1957 के तहत बिक्री कर के लिए उपयुक्त है। उस संदर्भ में यह माना गया था कि कोपरा एक तिलहन है और यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अर्थ के भीतर एक घोषित वस्तु है। पानी वाले नारियल को अंतिम खरीद के समय कर के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है और इसलिए, कोपरा पर अंतिम खरीद के समय उस अवधि तक कर लगाया जाएगा और

सभी किस्मों के नारियल में कोपरा भी शामिल होगा। अतः यह एक घोषित वस्तु है। डिवीजन बेंच ने यह विचार करते हुए कि क्या कोपरा एक तिलहन है, इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः(एसटीसी पी. 403)

"नारियल को कई रूपों में समझा जाता है, अर्थात्, कोमल नारियल, पानी वाला नारियल, सूखे नारियल और कोपरा, और ये सभी 'नारियल' अभिव्यक्ति के तहत आते हैं। कोमल नारियल के मामले को छोड़कर, जिसमें से तेल नहीं निकाला जा सकता है, अन्य सभी मामलों में, तेल निकाला जा सकता है और उन सभी को आम बोलचाल में तिलहन माना जाता है। **"**

श्री लक्ष्मी नारियल उद्योग बनाम कर्नाटक राज्य [(1980) 46 एस. टी. सी. 404 (कर्ण एच. सी.)]में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ को इस बात पर विचार करना था कि क्या सुखाया हुआ नारियल प्रवेश नारियल के अंतर्गत आता है, जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत घोषित वस्तुओं में से एक है और कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 की चौथी अनुसूची की प्रविष्टि 5 में भी शामिल है। उस संदर्भ में खंड पीठ द्वारा तिलहन शब्द के अर्थ की व्यापक रूप से जांच की गई और कहा गया कि सुखाया हुआ नारियल एक नारियल है और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत घोषित किया गया है। *कृषि आयकर और बिक्री कर उपायुक्त, केरल बनाम.ए. पी. रमन* [(1960) 11 एस. टी. सी. 263 (केर उच्च न्यायालय)]में, केरल उच्च न्यायालय ने भी यही विचार रखा। सीएसटी बनाम *राम कुमार नंद कुमार* [(1973) 31 एसटीसी 321:1973 कर एल आर.2165 (सभी उच्च न्यायालय) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि नारियल उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-एए (1) (**vi**) की परिभाषा के भीतर एक तिलहन है।

13. इसलिए, सामान्य व्यावसायिक भाषा में, नारियल को सब्जी नहीं कहा जा सकता है। वर्गीकरण में, जिस उत्पाद का उपयोग किया जाता है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में, तथ्यात्मक निष्कर्ष अपीलार्थी के उत्पाद के रूप में है, जिसे नारियल से संसाधित किया जाता है और इसका उपयोग प्रसाधन सामग्री के रूप में किया जाता है न कि खाद्य तेल के रूप में। इसलिए, अपीलार्थी के उत्पाद को किसी भी तरह से खाद्य तेल या वनस्पति तेल नहीं कहा जा सकता है।

14. हम धारा *77* के तहत प्राधिकरण के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं और 'न्यायाधिकरण' के आदेश को बरकरार रखते हैं। हम निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में कानून के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायमूर्ति)

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।